MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION, PUNE

Government Commercial Certificate Examination

3 JULY, 2018

[Time : 11-30]

HINDI SHORTHAND

(120 Words Per Minute)

Marks : 100

(Time allowed for Transcription of (A) and (B) passages : 2 Hr. and 30 Min.)

हिंदी लघुलेखन

[१२० शब्द प्रति मिनट]

अंक : १००

[कालावधि – [अ] और [ब] परिच्छेद के लिए २ घंटा और ३० मिनट]

[अ] [गुण : ४५ + ५ नोट्स के लिए]

गाँव के लोग ही अपनी समस्याओं को सर्वोत्तम रूप में समझते हैं और उनके निदान भी ढूँढ सकते हैं। स्थानीय समस्याएँ अलग-अलग होती है । उनके समाधान भी / अलग-अलग । पंचायत व्यवस्था प्रभावशाली होने के साथ-साथ किफायती तथा कम खर्चीली भी होती है । गाँव के लोग ही अपनी सक्रिय भागीदारी द्वारा गाँवों के सच्चे विकास में // सहयोग दे सकते हैं । ये लोग अपने-अपने क्षेत्र के ग्रामीण उद्योगों, कृषि-विकास, मातृ एवं शिशुकल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा आवश्यकताओं को अच्छी तरह से जानते हैं । अतः /// वे उसी के अनुरूप योजना बनाकर उसे व्यावहारिक रूप दे सकते है । इन सब कार्यो के लिए उन्हें कई वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार प्राप्त है तथा और अधिक प्रदान //१// किये जा रहे है । गाँवो के विकास उनको आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बनाने में पंचायत व्यवस्था बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है । इस समय भारत में ग्राम पंचायतों / ग्रामसमितियों तथा जिला परिषदों का एक जाल-सा बिछा हुआ है। गरीबी, बेरोजगारी उन्मूलन, ग्रामीणविकास, स्वास्थ्य सुधार, जवाहर रोजगार योजना आदि कार्यक्रमों में ये संस्थाएं सक्रिय भाग ले // रही है ।

पंचायतों के माध्यम से गाँवों में एक नई चेतना, जागृति व लहर का सूत्रपात हुआ है । आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक दृष्टि से अति पिछड़े लोगों के लिए भी /// पंचायत राज वरदान सिद्ध हो रहा है । समाज के पिछड़े तथा निर्धन लोग व पिछडी जातियों के सदस्य पंचायत के कार्यक्रमों में अब भाग लेने लगे हैं । पर्याप्त संख्या में //२// महिलाएं सरपंच, समिति-प्रधान आदि चुनी जा रही है । अपने परिश्रम, लगन, ईमानदारी, सच्चाई, प्रतिबद्धता और सही सोच के कारण व सफल भी सिद्ध हो रही है ।

पंचायत / राज व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था है, परन्तु इसमें अभी सुधारों के बड़े अवसर है । इन्हें अधिक निष्पक्ष, विश्वसनीय, प्रभावशील, सशक्त, कुशल और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने // की आवश्यकता है इनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, छोटे किसानों, दुकानदारों, खेतीहर मजदूरों, कारीगरों आदि की भागीदारी ओर अधिक सुनिश्चित की जानी चाहिये । पंचायतों को ओर अधिक /// वित्तिय सहायता, अधिकार तथा प्रशासनिक

स्वतंत्रता मिलनी चाहिये । विकास का लाभ गरीबों तक पहुंचाने, आर्थिक व सामाजिक असमानता दूर करने तथा सामाजिक न्याय और समानता की अवधारणाओं को //३// व्यावहारिक रूप देने के लिए इन प्रजातंत्रिक ग्रामीण संस्थाओं को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने की आवश्यकता है । अंत मे ंजिला परिषद होती है जो जिला स्तर पर कार्यरत / रहती है । सारे जिलों में विकास कार्यक्रमों को चलाने की जिम्मेदारी जिला परिषद की होती है। जिला परिषद में जिले के सभी एम.एल.ए., एम.पी. और पंचायत // समितियों के प्रमुख होते हैं । जिला परिषद का प्रधान इन सदस्यों में से चुना जाता है जिला-परिषद की सहायता के लिए जिले का कलेक्टर व अन्य अधिकारी होते है /// पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ बनाने और पूरी तरह व्यवस्थित करने के लिए कई नियम व अधिनियम पारित किये गये हैं । अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया गया । //४//

[दो मिनट का मध्यांतर]

[ब] **[अंक : ४५ + ५ नोट्स के लिए]**

भारत की आत्मा गाँवों में बसती है और गाँवो के समुचित विकास के लिए पंचायते आवश्यक है । पंचायतों के बिना ग्रामीण विकास और समृद्धि की कल्पना भी नहीं की जा / सकती । भारत गाँवों और ग्रामीणों का देश है । कृषि यहाँ का प्रधान व्यवसाय है । इन सबके विकास के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह // है कि पंचायत व्यवस्था को ओर अधिक व्यापक, सफल और स्वावलंबी बनाया जाय । पंचायत राज के द्वारा ही ग्राम प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है । पंचायतों /// के माध्यम से ही आर्थिक असमानता, शोषण और बेरोजगारी को भी गाँवों से किसी हद तक समाप्त किया जा सकता है ।

पंचायत राज और ग्राम सभाओं की परम्परा हमारे //१// यहाँ बहुत प्राचीन है यह हमारी सामाजिक व सांस्कृतिक परम्परा का एक अभिन्न अंग सदा से रही है । पंचों को हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही परमेश्वर का / स्थान प्राप्त है । उनके विवेक और पक्षपातहीन न्यायवृद्धि पर कभी प्रश्नचिन्ह नहीं लगा । वे दूध व पानी का पानी करने की क्षमता रखते // थे । उनके न्याय पर कभी किसी को अविश्वास नहीं होता था । इसीलिए "पंचों की राय सिरमाथे" की कहावत आज भी हमारे देश में प्रचलित है । पंचायत व्यवस्था /// प्रारंभ से ही ग्राम्यस्तर पर हमारे प्रजातंत्र और लोकव्यवस्था की आधारस्तंभ रही है । इन्होंने देश के सर्वांगीण विकास में हमेशा ही महत्त्वपूर्ण भूमिका //२// निभाई है समय और परिस्थितियों में परिवर्तन आया और बड़े-बड़े नगर और कस्बे बस गये परन्तु गाँवों में पंचायत राज व्यवस्था ने अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बनाये रखा ।

जब / अंग्रेज भारत आये तो उन्होंने इस व्यवस्था की सार्थकता देखी और आश्चर्यचकित रह गये । उन्होंने इसे "सूक्ष्म गणराज्य" का नाम दिया परन्तु धीरे-धीरे अंग्रेजों ने // पंचायत राज व्यवस्था में बाधाएं खड़ी करना प्रारंभ कर दिया और वे अपने मूल उद्देश्यों व स्वरूप को खोने लगीं ।

१५ अगस्त, १९४७ को भारत स्वतंत्र हुआ और /// इसके साथ ही पंचायतों के पुनरुद्धार के प्रयत्नों की शुरुआत भी की । हमारे शासकों ने एक ओर पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की तो दूसरी ओर पंचायत राज //३// व्यवस्था को फिर से प्रारंभ किया । ग्राम समितियों तथा ग्रामसभाओं की स्थापना की गई । यह प्रक्रिया अक्तूबर, १९५२ में प्रारंभ हुई । १९५९ में पंचायत व्यवस्था की / त्रिस्तरीय प्रणाली को जिला, खंड और ग्राम स्तर पर प्रारंभ किया गया । जिला स्तर पर जिला परिषदें, खंड स्तर पर पंचायत समितियां तथा ग्राम स्तर पर पंचायतें स्थापित की गई । // उन्हें बहुत न्यून आर्थिक अधिकार थे । इनके पास आर्थिक साधन नहीं थे। वे स्वतंत्र रूप से लोककल्याण कार्यों पर कुछ भी खर्च नहीं कर सकती थी । उनके /// वांछित परिणाम नहीं निकले । यह बड़ी गहराई में अनुभव किया जाने लगा कि इसके अधिकार - क्षेत्र व कार्यप्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है । तथा महत्त्वपूर्ण कदम है । //४//